वाणिज्य – 163

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि०

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

न्यू पावर हाऊस, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जोधपुर - 342 003 फोन नं० 0291-2651337 रू फेक्स नं० 2741870

क्रमांक:- अप्रनि/जोधपुर डिस्कॉम/अनु-वाणिज्य/पत्रा० /प्रे०सं० 454

जोधपुर, दिनांक 11-06-03

आदेश

विषयः– घरेलू अघरेलू एवं कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं से
बकाया राशि वसूली के लिये रियायती योजना ।

1– घरेलू अघरेलू एवं कृषि श्रेणी के अनेक उपभोक्ताओं में निगम की विद्युत बिलों की काफी मूल राशि बकाया है तथा उस पर प्रतिमाह विलम्ब सरचाज्र (डी.पी.एस.) भी बढ़ता जा रहा है । यद्यपि निगम ने गत वर्ष इस प्रकार की योजना लागू की थी परन्तु किन्ही कारणों से उपभोक्ता इसका लाभ नहीं उठा पाये । अतः निगम ने इस बारे में विचार कर ऐसे उपभोक्ताओं से बकाया राशि की शीघ्र वसूली करने हेतु उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिये यह निर्णय लिया है कि निगम की 31.3.2002 तक की मूल बकाया राशि एवं वर्ष 2002–2003 में बढ़ी हुई मूल राशि एवं बढ़ी हुई मूल राशि पर लगा डी.पी.एस./ब्याज यदि उपभोक्ता द्वारा दिनांक 15.7.2003 तक एक मुश्त जमा करा दिया जाएगा तो उपभोक्ता को 31..3.2002 की बकाया राशि पर लगा डी.पी.एस./ब्याज माफ कर दिया जाऐगा ।

2– यदि उपभोक्ता उपरोक्त बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने में असमर्थ हो तो ऐसे उपभोक्ता को किश्त में जमा करने का विकल्प भी दिया जाएगा । किन्तु किश्तों में जमा कराने पर उनको डी.पी.एस./ब्याज में 75 प्रतिशत छूट ही देय होगी । इस प्रकार उपभोक्ता को किश्त में निम्न प्रकार से राशि देनी होगी :–

अ– दिनांक 15.7.2003 तक देय प्रथम किश्त :–

31.3.2002 तक की मूल बकाया राशि का 50 प्रतिशत 31.3.2002 की सम्पूर्ण मूल बकाया राशि पर लगने वाला डी.पी.एस./ब्याज का 12.5 प्रतिशत एवं 1.4.2002 के पश्चात् बढ़ी हुई मूल राशि एव उस पर लगने वाला डी.पी.एस./ब्याज पूरा देना होगा ।

ब– शेष बकाया राशि अधिकतम तीन द्विमासिक किश्तों में जमा करानी होगी ।

3– यदि डी.पी.एस. की राशि सम्बन्धित लेखों से निकालना सम्भव ना हो तो यह भी निर्णय लिया गया है कि :–

अ– कटे हुऐ कनेक्शन से ब्याज माफी के अतिरिक्त जब से बकाया चला रहा है (अगस्त 97 के बाद, क्योकि पूर्व में डी.पी.एस. नहीं लगता था) से कनेक्शन कटने के महिने तक, जितने माह का समय होता है उतनी प्रतिशत (1 प्रतिशत प्रति माह) की बकाया बिल में अतिरिक्त छूट (डी.पी.एस. के पेटे) देकर बकाया राशि ली जाएगी । उपरोक्त ब्याज एवं डी.पी.एस. मे छूट एक मुश्त राशि जमा कराने पर ही देय होगी । किश्तों में जमा कराने पर ब्याज में पूरी छूट के स्थान पर 75 प्रतिशत छूट तथा डी.पी.एस. के लिये एक प्रतिशत प्रतिमाह के स्थान पर 0.75 प्रतिशत प्रतिमाह ही देय होगी ।

ब– जिन उपभोक्ताओं की ओर राशि बकाया है, परन्तु विद्युत सम्बन्ध विच्छेद नहीं है, से अन्तिम बकाया बिल (31.3.2002) में जुलाई 97 के बाद जितने माहों से बकाया चली आ रही है, उसके एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से छूट भुगतान माह तक देते हुए बकाया राशि वसूल की जावें । उल्लेखनीय है कि यह छूट 31.3.2002 तक की बकाया राशि या दिनांक 1.4.2002 से इस आदेश के जारी होने की दिनांक तक यदि इस बकाया पर आंशिक भुगतान प्राप्त हो गया है तो उसको मूल राशि के पेटे में मानते हुये दोनों राशि में से जो राशि कम हो उस पर गणना की जाएगी । उपरोक्त छूट एक मुश्त राशि जमा कराने पर देय होगी । किश्तों में जमा कराने पर डी.पी.एस. के लिये उक्त छूट एक प्रतिशत के स्थान पर 0.75 प्रतिशत प्रतिमाह ही देय होगी ।

यह रियायत योजना 15 जून 2003 से लागू होकर 15 जुलाई 2003 तक वैध रहेगी ।

नोटः–

1) उपरोक्त प्रकार से छूट की गणना करने को स्पष्ट करने के लिये उदाहरणार्थ काल्पनिक प्रकरण में 1000 रुपये बकाया राशि मानकर संलग्न सारिणी में पूर्ण विवरण दिया जा रहा है । जिससे कि गणना करने में त्रुटि/संशय ना रहे ।

2) इस रियायत योजना के अन्तर्गत विलम्ब शुल्क/ब्याज की छूट देने के लिये सम्बन्धित सहायक अभियन्ता सक्षम होगें ।

3) इस योजना के अन्तर्गत लाभ लेने के लिये उपभोक्ता द्वारा यदि बकाया से सम्बन्ध में कोई कोर्ट केस विचाराधीन हो तो उसे वापस लेना होगा ।

4) यदि उपभोक्ता योजना के अनुसार समय पर राशि जमा कराने में असफल रहता है तो उसे यह लाभ नहीं मिलेगा ।

5) इस योजना के अन्दर कटे हुऐ कनेक्शनों को पुनः चालू करवाना आवश्यक नहीं है । पुनः चालू करने के लिये सामान्य नियम लागू होगें ।

6) यह योजना उन पर लागू नहीं होगी जिन्होने इसी प्रकार की सन् 1999, 2000–2001, 2002 में जारी रियायती योजना में लाभ ले लिया था ।

7) बकाया राशि में उपभोक्ता की सिक्यूरिटी राशि का समायोजन नहीं करना है । कटे हुये कनेक्शनों की कनेक्शन कटने की दिनांक बकाया राशि मे से उपभोक्ता की सिक्यूरिटी का समायोजन करना है और उपभोक्ता द्वारा नियमानुसार कनेक्शन जुड़वाने की स्थिति में उपभोक्ता से नई सिक्यूरिटी राशि वसूल करनी है ।

8) यह योजना चोरी या अनियिमितता (Malpractice) की राशि के लिये लागू नहीं होगी ।

9) उपरोक्त रियायती योजना के अन्तर्गत बकाया जमा कराने के लिये उपभोक्ता द्वारा संलग्न आवेदन पत्र के प्रारुप अनुसार भरकर सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है ।

10) इस योजना की प्रगति के बारे में जिसमें वसूली गई मूल राशि, डी.पी.एस./ब्याज में दी गई छूट, एवं किश्तों में वसूली जाने वाली राशि दर्शायी जायेगी जिसे सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा (वृत स्तर पर) प्रत्येक सप्ताह मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम को अनिवार्य रुप से प्रेषित किया जायेगा ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(आर०एस०चौधरी)
मुख्य अभियन्ता (सी०पी०एम०)

प्रतिलिपि निम्निलिखित को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है :–

1– सचिव, ऊर्जा विभाग, जयपुर ।
2– मुख्य अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
3– वित्तीय सलाहकार, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
4– संभागीय मुख्य अभियन्ता(जोधपुर/बीकानेर जोन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर /बीकानेर ।
5– मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
6– अधीक्षण अभियन्ता ( ) जोधपुर डिस्कॉम, ———————— ।
7– कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
8– वरिष्ठ लेखाधिकारी ( ) जोधपुर डिस्कॉम, ———————— ।
9– निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
10– उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता–) जोधपुर डिस्कॉम, ———————— ।
11– उप निदेशक (कार्मिक) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
12– तकनीकी सहायक, माननीय अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम/अजमेर डिस्कॉम/जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर/अजमेर/जयपुर ।
13– अधिशाषी अभियन्ता ( ) जोधपुर डिस्कॉम, ———————— को अपने अधिनस्थ सभी सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक राजस्व अधिकारी को वितरण हेतु अतिरिक्त प्रतिलिपियों सहित ।
14– जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
15– तकनीकी सहायक मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम.) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
16– लेखाधिकारी (वाणिज्य) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।

मुख्य अभियन्ता (सी०पी०एम०)

(अ) कटे हुये कनेक्शन के लिये

क्र. स.	सम्बन्ध विच्छेद तिथि (1.4.03 से पूर्व) बकाया राशि अगस्त 97 से पूर्व	सम्बन्ध विच्छेद तिथि को बकाया (डी.पी.एस. सहित)	ब्याज 18 प्रतिशत प्रति वर्ष कुल राशि (संबंध विच्छेद तिथि से 30.6.03 तक)	कुल राशि	देरी से भुगतान अधिभार में	स्कीम का विकल्प	छूट की कुल राशि	कुल देय राशि
1	अगस्त, 1997 से पूर्व	1000/–	1000/– अधिकतम मूल राशि के बराबर	2000/–	–	अ) समस्त राशि एक मुश्त	1000/–	1000/–
						ब) 50 %राशि एक मुश्त एवं 50 % तीन किश्तों में	750/–(1000 का 75 %)	1250/–
2	जुलाई 1998	1000/–	900/–	1900/–	12 %(12 माह अगस्त 97 से जुलाई,98) 120/–(1 % प्रति माह की दर से)	अ) समस्त राशि एक मुश्त	1020/–	880/–
						ब) 50 %राशि एक मुश्त एवं 50 % तीन किश्तों में	765/–(1020 का 75 %)	1135/–
3	जुलाई 2002	1000/– 31.3.02 तक	165/–	2300/–	60 % (60 माह अगस्त 98 से जुलाई,02 तक)	अ) समस्त राशि एक मुश्त	765/–	1585/–
						ब) 50 %राशि एक मुश्त एवं 50 % तीन किश्तों में	574/–(785 का 75 %)	1756/–
		1000/– 01.4.02 के पश्चात्	165/–					
		2000/–	330/–	2300/–				

(ब) चालू कनेक्शनों के लिये

बकाया राशि कब से	बकाया राशि	देरी से भुगतान अधिभार में अधिकतम छूट	स्कीम के विकल्प की राशि	वास्तविक छूट की राशि	कुल देय राशि
अगस्त 2000 से	1000/–	35 % (23 माह अगस्त 2000 से जून 2003, तक) 350/–	अ–समस्त राशि एक मुश्त	350/–	1000–350 = 650/–
			ब–50 % राशि एक मुश्त एवं 50 % तीन किश्तों में	263/– (350 का 75 %)	1000–263 = 737/–